उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला - खरसावाँ।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

गेल (इण्डिया) लि0 द्वारा जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाईपलाईन बिछाने हेतु कार्यालय पत्रांक-1804/रा0 दिनांक 10.08.2018 के द्वारा गम्हरिया अंचल अंतर्गत मौजा-तिरूलडीह, थाना नं0-55, खाता नं0-05 का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल के पत्रांक-201 दिनांक 23.01.2019 द्वारा उक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि संबंधी दावा उपरान्त अंचल अधिकारी, नीमडीह के पत्रांक-433 दिनांक 19.06.2018 एवं अंचल अधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक-1391 दिनांक 31.07.2018 एवं अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक-1514 दिनांक 04.08.2018 के द्वारा पुनः जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो अनुमण्डल पदाधिकारी,चाण्डिल के पत्रांक-103 दिनांक 17.07.2018 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी,सरायकेला के पत्रांक-196 दिनांक 21.07.2018 के द्वारा पूर्व में अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की अनुशंसा एवं दिनांक 04.08.2018 को जिला वनाधिकार समिति के सम्पन्न बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है -

क0 सं0	अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (ए0 में)	किस्म	अभियुक्ति
1	नीमडीह	बाना	281	182	576	0.0213	गोड़ा दो	अनावाद झारखण्ड सरकार
					504	0.0008	दोन दो	
2	चाण्डिल	मानीकुई	262	87	251	0.0430	पलास जंगल	
3	गम्हरिया	सुधापुर	6		235	0.0560	जंगल झाड़ी	
					103	0.0160	जंगल झाड़ी	
					199	0.0590	जंगल झाड़ी	
		देवगांव	59	23	03	0.1048	जंगल झाड़ी	
					80	0.0006	जंगल झाड़ी	
					कुल–	0.3015		

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी आदि कुल रकवा-0.3015 एकड़ में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest)भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्त एजेंसी द्वारा गैर मजरूआ भूमि का हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सःशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा। साथ ही राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,झारखण्ड राँची के संकल्प सं0-1817/रा0 दिनांक-30.04.2015 एवं अन्य विभागीय परिपत्रों में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। पूर्व में कार्यालय पत्रांक-1804/रा0 दिनांक 10.08.2018 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को उक्त के आलोक में इस हद तक संशोधित समझा जाय।

उपायुक्त,
सरायकेला - खरसावाँ।

ज्ञापांक- 285 /रा0, सरायकेला, दिनांक 12/02/2019

प्रतिलिपि - उप महाप्रबंधक (निर्माण) गेल इण्डिया लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी,नीमडीह,चाण्डिल एवं गम्हरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला/ चाण्डिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि - वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि - आयुक्त, सिंहभुम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि - सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।